

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 762-बैठक दिनांक 02/06/2024 को डॉ.पी.सी.दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No. P2/407/2024 Shri Shashi Bhusan Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) - 462011, Prior Environment Clearance for Khiriya Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (64,800 cum per year) (Khasra No. 21/1 KA) Village - Khiriya, Tehsil - Saikheda, District - Narsinghpur(M.P.) - (EIA)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री शशि भूषण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री शशि भूषण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति)

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. –21/1 क (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 4.00 हे.
स्थल	ग्राम – खिरिया, तहसील –साईखेड़ा, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम खिरिया रेत खदान, दिनांक- 02/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा खिरिया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 64,800 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 7.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खिर्रिया जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 12/09/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	शाक्कर नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-21 के सरल क्रमांक-22 एवं पेज नं.-79 के सरल क्रमांक-04 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 23/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खदान शाक्कर नदी क्षेत्र में है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। गुगल ईमेज 13/02/2022 का अवलोकन करने पर खनन हेतु मांगी गई उत्पादन की मात्रा पर्याप्त प्रतीत होती है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 4.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 64ए800 घनमीटर/वर्ष

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -64800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12.57 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.56 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost (Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,44,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

1(b)	Water requirement- 4.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (800m in length × 5m in width)	2,40,000	40,000
3.	PLANTATION SCHEME		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(130 0X15 0= ₹1,95 ,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(200 X500 = ₹ 1,00, 000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(330 0X50 = ₹ 1,65, 000)	
		4,60,000	45,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (30 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	30,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 21	20,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker	-	21,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	(twice in a year) (For 21 Labors -21× 500 × 2)			
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000	
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 21 workers - 21 × 1500)	31,500	6,300	
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000	
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000	
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000	
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000		
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	2,50,000	1,50,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	12,57,500/-	5,56,300/-	

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी व आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
प्रत्येक छह माह में 1,10,000 रुपये की राशि से ग्राम खिरिया में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जावेगा जिसमे ग्रामवासियों के मधुमेह, रक्तचाप एवं मलेरिया, डेंगू जेसी बीमारियों की निशुल्क जांच की जावेगी।	1,10,000
कुल	1,10,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 15,00 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3300 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
----	----------------------------------	---------------------	--------

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

			(संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति – कटंग बांस 6 पंक्ति – करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3300
कुल			4800
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे जलछत्क (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख –रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No. P2/409/2024 Shri Shashi Bhusan Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Ajanda -1 Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (64,800 cum per year) (Khasra No. 39/1) Village – Ajanda, Tehsil – Saikheda, District – Narsinghpur(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भागि भूशण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भागि भूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. –39/1 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 4.00 हे.
स्थल	ग्राम – अजंदा, तहसील –साईखेड़ा, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अजंदा-1 रेत खदान, दिनांक- 12/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अजंदा -1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 64,800 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 992 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 15.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 19.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 992 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 992 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अजंदा जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 15/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	दुधि नदी । खदान क्षेत्र का अधिकां 1 भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-08 एवं पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खदान दुधी नदी क्षेत्र में है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। गूगल ईमेज खदान का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। अतः नॉन माईनेबल एरिया 1.84 हे. होती है। अतः लीज एरिया के माईनेबल उत्खनन क्षेत्र 2.16 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 64800 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -64800घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
6. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 10.17 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.48 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	18,000
1(b)	Water requirement- 0.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (100m in length × 5m in width)	30,000	6,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2000X150= ₹3,00,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(170X500= ₹ 85,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(2630X50= ₹ 1,31,500)	
		5,16,500	98,928

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (30 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	30,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 13	10,000	1,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 13 Labors -13× 500 × 2)	-	13,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 13 workers - 13× 1500)	19,500	3,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	3,00,000	60,000
	Total	10,17,000/-	348,928,-

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम अजंदा – 1 के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 80,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति अजंदा – 1 के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	80,000
कुल	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2170 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2630 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति – कटंग बांस 6 पंक्ति – करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	2000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	170
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2630
कुल			4800
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

(SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख –रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No. P2/406/2024 Shri Shashi Bhusan Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Karahiya Sand Quarry in an area of 10.063 ha. (1,63,021 cum per year) (Khasra No. 01 & 113) Village – Karahiya, Tehsil – Narsinghpur, District –Narsinghpur(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भाणि भूशण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भाणि भूशण सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 01 व 113 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 10.063 हे.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

स्थल	ग्राम – करहैया, तहसील –नरसिंहपुर, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम करहैया रेत खदान, दिनांक- 21/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा करहैया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,63,021 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,63,021 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1011 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 7.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 17.063 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1011 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1011 दिनांक 19/06/2023

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे तान/दूरद न्नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 26/09/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-22 के सरल क्रमांक-33 एवं पेज नं.-77 के सरल क्रमांक-01 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 21/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। नर्मदा नदी के क्षेत्र में स्थित है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है। आसपास में कोई संरचना नहीं है। उपलब्ध गूगल ईमेज के अनुसार माईनेबल एरिया जहां रेत उपलब्ध है लगभग 2.0 हे. है। अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 2.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 60000घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत –60000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनवाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए।
4. खनिज विभाग द्वारा स्ख में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
5. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
7. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
8. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
9. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 17.9 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.54 लाख प्रति वर्ष।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	54,000
1(b)	Water requirement- 1.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (300m in length × 5m in width)	90,000	18,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(33 00 X1 50 = ₹4, 95, 00 0)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(10 0X 50 0= ₹ 50, 00 0)	9,80,000
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(87 00 X5 0 = ₹ 4,3 5,0 00)	1,00,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (75 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	75,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)			
	Pollution Monitoring			30,000
	i) Air pollution			30,000
	ii) Water pollution			20,000
	iii) Soil Pollution			20,000
iv) Noise Pollution				
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 22		20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000×2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		-	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 22 Labors -22× 500 × 2)		-	22,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 22 workers - 22 × 1500)		33,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation – Plantation 1000 nos	1,00,000	1,00,000
		Installation of solar panels of gram panchayat Karahiya in primary school.	3,00,000	60,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	50,000	-
Total			17,09,000/-	5,54,000/-

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी ई.आर. मद से 1,40,000 की राशि 1 पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम करहैया के भासकीय प्राथमिक भाला के खाते में भाला विकास कार्य हेतु भू - प्रवे 1 के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	1,40,000
कुल	1,40,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3400 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 8700 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	3300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	8700
कुल			12100
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

(SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख –रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

+

4.

Case No. P2/148/24 RAJEEV SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 8.11 Hectare, Khasra No.- 209 in Village - DARYAPUR , Tehsil - Nepanagar, District - Burhanpur (MP), Maximum Production - 97320 cum per annum [476846]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो ताप्ती नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीराजीवसक्सेना, उपस्थित नहीं हुये एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थित हुये।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री राजीव सक्सेना, (संभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	209(सरकारी-गैर वन भूमि)	8.110हे.
स्थल	ग्राम-दर्यापुर, तहसील-नेपानगर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 97320 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 97320 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/14 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/14 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/14 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत - सुखपुरी, ग्रामसभा- सुखपुरी, जिला- बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 16/08/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-11 के सरल क्रमांक-4 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 28/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 1. नदी से रेत के परिवहन हेतु उचित सड़क का निर्माण किया जावे जिससे ट्रैक्टर को लोडिंग के समय चलाने में समस्या होती है। 2. ग्रामीण रोजगार को महत्व दिया जाये। वृक्षारोपण किया जाये। 3. ग्रामीण आवास के लिए रेत फ्री में दिया जाये।	

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	<p>4. रास्ते की मरम्मत की जाये ताकि आवागमन सुचारू रूप से चालू रहे। ग्रामीण परेशान न हो। क्योंकि रेत परिवहन के लिए एकमात्र रस्ता है।</p> <p>5. ग्राम विकास के लिए पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जाये।</p>
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खदान ताप्ति नदी क्षेत्र में है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 260 मी. पर रोड ब्रिज है। अतः समिति का मत है कि संबंधित क्षेत्र के ब्रिज कार्पोरेशन विभाग का रेत उत्खनन के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त होने पर ही रेत खदान हेतु विचार किया जाना संभव होगा ।

ADS-परियोजना प्रस्तावक ब्रिज कार्पोरेशन विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रस्तावित स्थल पर रेत उत्खनन के संबंध में अनापत्ति/स्पष्ट अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

5. Case No. P2/144/24 RAJEEV SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.00 Hectare, Khasra No.- 1 in Village - NACHANKHEDA, Tehsil - Burhanpur, District - Burhanpur (MP), Maximum Production - 84000 cum per annum [477046]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो ताम्बी नदीपर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजीव सक्सेना, उपस्थित नहीं हुये एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थित हुये ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री राजीव सक्सेना, (संभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01(सरकारी-गैर वन भूमि)	7.000 हे.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

स्थल	ग्राम-नाचनखेडा, तहसील-बुरहानपुर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 84000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 84000 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/12 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/12 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/12 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत - नाचनखेडा, ग्रामसभा-नाचनखेडा, जिला- बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 07/03/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-12 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 27/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । परियोजना प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुये । खदान ताप्ति नदी क्षेत्र मे है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का कुछ भाग अन्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा में परिलक्षित हो रहा है। अतः समिति का मत है कि संबंधित क्षेत्र के माईनिंग अधिकारी द्वारा खदान की सीमा के संबंध में स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करने के उपरांत रेत खदान हेतु विचार किया जाना संभव होगा ।

ADS-खननलीज क्षेत्र का कुछ भाग अन्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा में होने के संबंध में संबंधित खनिज अधिकारी से स्पष्ट स्थिति एवं प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत की जायें।

6. **Case No. P2/146/24 RAJEEV SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 13.60 Hectare, Khasra No.- 439 in Village - FATEHPUR, Tehsil - Burhanpur, District - Burhanpur (MP), Maximum Production - 163200 cum per annum [476170]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो ताप्ती नदीपर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुये एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस,के प्रतिनिधिमेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड,हैदराबाद,तेलंगाना ऑनलाईन उपस्थितरहे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री राजीव सक्सेना, (संभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	439(सरकारी-गैर वन भूमि)	13.60हे.
स्थल	ग्राम-फतेहपुर, तहसील-बुरहानपुर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 1,63,200 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-1,63,200घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/11 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की	

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/11 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/11 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत - फतेहपुर, ग्रामसभा-फतेहपुर, जिला- बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 12/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-11 के सरल क्रमांक-4 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 27/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 6. फतेहपुर खदान के आसपास वृक्षारोपण भी होना। उसकी सविस्तार जानकारी ग्राम संगठन को लिखित में उपलब्ध कराई जाए, और स्थानीय महिलाओं को रोजगार का सुअवसर प्रदान होगा। हमारा गांव हमारी पहचान सार्थक होगी। 7. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर रेत , मुरुम मिलने की अनुमति। निशुल्क रॉयल्टी पर रेत प्राप्त हो।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खदान ताप्ति नदी क्षेत्र मे है। गुगल ईमेज 15 मई 2023 के अनुसार लीज क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है, एवं खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 1.5 कि.मी. पर ब्रिज है तथा दक्षिण दिशा में 2.6 कि.मी. पर ब्रिज है । खदान क्षेत्र में ही एक नाला नदी में मिल रहा है। आसपास में कोई अन्य संरचना नहीं है। नदी के अविरल बहाव को बनाये रखने के लिये सेटबैक छोड़ गए है, एवं नॉन माईनेबल क्षेत्र 8.03 हे. आंकलन किया गया । अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 5.3 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 100000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विधि शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिक उत्पादन क्षमता रेत -100000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुमति करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्य प्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 6.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.10 लाख प्रति वर्ष।

EMPBudget

S.No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	164340
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	425000	42500
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a	Nil	84000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	year)		
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	12500	1250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	3500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	5600
9	VT Training for Labours	Nil	1400
C. Carbon Sequestration			
10	For Carbon Foot print tree adaptation	135000	-
11	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission	30000	-
D. Emergency Rescue Plan			
12	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
13	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
E. Solid Waste Management			
14	Bins 2 nos	1000	-
Total		678500	310590

- C E R मद में निम्नानुसार राशि रु.0.39 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
समीपस्थ विद्यालयों में फर्नीचर एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा	20000.00
समीपस्थ ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर की सुविधा	19000.00
कुल	39000.00

- नदीक्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार)सतत सिंचाई 3, वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ (नदी के किनारे कम से कम 500 पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
------	---------------------------	---------------------	--------

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

			(संख्या में)
1	नदी के किनारे,पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	अर्जुन, जामुन,नीम, आम, मुनगा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	100
2	आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, आम,अर्जुन, जामुन,नीम, सप्तपर्णी, बरगद,गुलमोहर,अमलतास,इमली एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	400
<ul style="list-style-type: none"> • वृक्षों का रोपणएवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा। • प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा। • एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधेSTAGGRED(आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे। <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा।परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगेग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No. P2/147/24 RAJEEV SAXENA,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.00 Hectare, Khasra No.- G-122, S-318, B-01, H-52 in Village - GAVHANA, Tehsil - Burhanpur, District - Burhanpur (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum [476549]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो ताप्ती नदीपर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजीव सक्सेना उपस्थित नहीं

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

हुयेएवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस,मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड,हैदराबाद,तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री राजीव सक्सेना, (संभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	122, 318,01 एवं 52 (सरकारी-गैर वन भूमि)	6.00हे.
स्थल	ग्राम-गव्हाना, तहसील-बुरहानपुर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 72000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 72000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/15 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/15 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/15 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत - हतनूर, ग्रामसभा-गव्हाना, जिला- बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 07/03/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-12 के सरल क्रमांक-5 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 24/04/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय कार्य में रेत की आवश्यकता हो तो प्रदान की जाए। वृक्षारोपण किया जाये। पंचायत में CSR के तहत सामग्री जो आवश्यक हो प्रदान किया जाए। 2. ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय कार्य में सहयोग किया जाए। आंगनवाडी में बच्चों के लिए खिलौने व आवश्यक सामग्री प्रदान किया जाए। स्कूल में CSR के तहत सहयोग किया जाए। कम्प्यूटर उपलब्ध किया जाए व वृक्षारोपण किया जाये।

खनन क्षेत्र ताप्ती नदी पर स्थित है । गूगल ईमेज का अवलोकन किया गया । खनन क्षेत्र से 01 कि.मी तक कोई संरचना नहीं है। खनन क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। खनन क्षेत्र 6.0 है. है। सेटबेक छोड़ने पर 1.5 हे. नॉन माइनेबल एरिया एवं 4.5 हे. माइनेबल एरिया बचता है। अतः 72000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र ताप्ती नदी पर स्थित है । गूगल ईमेज का अवलोकन किया गया । खनन क्षेत्र से 01 कि.मी तक कोई संरचना नहीं है। खनन क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। खनन क्षेत्र 6.0 है. है। सेटबेक छोड़ने पर 1.5 हे. नॉन माइनेबल एरिया एवं 4.5 हे. माइनेबल एरिया बचता है। अतः माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 72000घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.81 लाख प्रति वर्ष ।

EMP Budget

S.No	Particulars	Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	155340
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, Reflectors, development of T-Point	1000000	100000
3	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water)	Nil	84000
4	Plantation within the Buffer area, roads & Social Forestry	85000	8500
5	PUC certification for trucks	Nil	1000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	10000	2000
7	Separate Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	7000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	10500
10	VT Training for Labours	Nil	3500
C. Emergency Rescue Plan			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

11	First Aid Box & firefighting Equipment	16000	2000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones	10000	5000
D. Solid Waste Management			
13	a) Bins 2 nos	3000	-
Total		1154000	381840

- C E R मद में निम्नानुसार राशि रु.0.39 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
समीपस्थ विद्यालयों में फर्नीचर एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा	20000.00
समीपस्थ ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर की सुविधा	19000.00
कुल	39000.00

- नदीक्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार)सतत सिंचाई 3, वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ (नदी के किनारे कम से कम 500 पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे, पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	अर्जुन, जामुन, नीम, आम, मुनगा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	100
2	आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, आम, अर्जुन, जामुन, नीम, सप्तपर्णी, बरगद, गुलमोहर, अमलतास, इमली एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400
<ul style="list-style-type: none"> • वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा। • प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा। 			

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

- एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आडे-तिरछे) लगाए जाएंगे।
- टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No. P2/145/24 RAJEEV SAXENA, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.50 Hectare, Khasra No.- 331, 242 in Village - SUKHPURI, Tehsil - Burhanpur, District - Burhanpur (MP), Maximum Production - 66000 cum per annum [476253]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो मोहना नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजीव सक्सेना, उपस्थित नहीं हुये एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थित हुये।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री राजीव सक्सेना, (संभागीय कार्यालय), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	331,242 (सरकारी-गैर वन भूमि)	5.500 हे.

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

स्थल	ग्राम-सुखपुरी, तहसील-बुरहानपुर, जिला - बुरहानपुर, मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 66000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 66000 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/16 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान नहीं हैं। प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/16 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- बुरहानपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2022/16 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत - सुखपुरी, ग्रामसभा-सुखपुरी, जिला- बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 16/08/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-14 के सरल क्रमांक-8 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 27/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई- <ol style="list-style-type: none"> 1. फतेहपुर रेत खदान पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण संतुलित रहे। 2. रोजगार ग्रामीणवासियों को मिले। रोजगार से शिक्षा भी मिले। 3. ग्रामीण लोगों को मुफ्त में रेत मिले एवं माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देवे एवं वृक्षारोपण कर झाड़ लगावे।

खनन क्षेत्र मोहन नदी पर स्थित है । गूगल ईमेज का अवलोकन किया गया । खनन क्षेत्र 5.5 हे. है। सेटबेक छोड़ने पर 0.56 हे. नॉन माइनेबल एरिया एवं 4.94 हे. माइनेबल एरिया बचता है। अतः 66000 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र मोहन नदी पर स्थित है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। खदान क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा है, जो लगभग 0.56 हे. है । अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 4.94 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 2.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 66000घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत –66000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.68 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.06 लाख प्रति वर्ष ।

EMPBudget

S.No	Particulars	Capital Cost in INR	Recurring Cost in INR
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	138960
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, Reflectors	504000	50400
3	Monitoring (Air Quality, Noise, Soil & Water)	Nil	84000
4	Plantation within the Buffer area & approach roads	85000	8500
5	PUC certification for trucks	Nil	1000
B. Labour Welfare			
6	Shelter for labours	20000	2000
7	Separate Bio-Toilets for Male and Female	30000	3000
8	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	4000
9	PPEs for Sand Mining operations	Nil	6000
10	VT Training for Labours	Nil	2000
C. Emergency Rescue Plan			
11	First Aid Box & firefighting Equipment	16000	2000
12	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones	10000	5000
D. Solid Waste Management			
13	a) Bins 2 nos.	3000	-
Total		6,68,000	3,06,860

- C E R मद में निम्नानुसार राशि रु.0.39 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
समीपस्थ विद्यालयों में फर्नीचर एवं आवश्यक वस्तुओं की सुविधा	20000.00

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

समीपस्थ ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर की सुविधा	19000.00
कुल	39000.00

- नदीक्षेत्रहेतुनिम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार)सतत सिंचाई3, वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ(नदी के किनारे कम से कम 500पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे,पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	अर्जुन, जामुन,नीम, आम, मुनगा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	100
2	आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, आम,अर्जुन, जामुन,नीम, सप्तपर्णी, बरगद,गुलमोहर,अमलतास,इमली एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	400

- वृक्षों का रोपणएवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।
- प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।
- एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधेSTAGGRED(आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।

टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा।परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगेग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

9. Case No. P2/441/2024 Shri Satendra Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Aliganj Sand Quarry in an area of 4.046 ha (48,522 cum per year) (Khasra No. 422 & 423) Village – Aliganj, Tehsil – Bareli, District – Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 422 व 423 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 4.046 हे.
स्थल	ग्राम – अलीगंज, तहसील –बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अलीगंज रेत खदान, दिनांक– 19/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अलीगंज रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 48,522 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 48,522 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1212 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 7.50 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.546 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1212 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1212 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अलीगंज जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 15/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-94 के सरल क्रमांक-16 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-16 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । **खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है** । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 4.046 हे. है। माईन प्लान के अनुसार उत्खनन की मात्रा 48552 घनमीटर/वर्ष है, जब कि डीएसआर में दी गई रेत उत्खनन की मात्रा 43290 घनमीटर/वर्ष है। अतः रेत की उत्पादन क्षमता 43290 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -43290 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्वूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्वूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.08 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (100m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(2260X 150= ₹3,39,0 00)	5,14,000 1,07,604
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(100X5 00= ₹ 50,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and	(2500X	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	distribution to villagers @ Rs.50/plant	50 = ₹ 1,25,00 0)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (21 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	21,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40		40,000	10,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		-	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)		-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)		60,000	12,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	50,000	-
	Total		10,05,000/-	5,08,604/-

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आग 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में स्वास्थ्य संबंधी उपकरण हेतु 1,20,000 रुपये की राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज के बैंक खाते में भू-प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा किये जाएंगे	1,00,000
कुल	1,00,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2360 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2500 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	2260
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	100
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2500
कुल			4860

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख –रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No. P2/107/24 Subhash Chandra Karnavat, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 2.0 Hectare, Khasra No.- 11/510 in Village - ARTHI, Tehsil - Katthiwada, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 8000 cum per annum [477213]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो सुक्ता नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत एवं श्री सतीश नागले माईनिंग अधिकारी उपस्थित हुये। उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लेन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थित हुये।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	11/510, (सरकारी-गैर वन भूमि)	2.000 हे.
स्थल	ग्राम- अठी, तहसील-कठठीवाड़ा, जिला-अलीराजपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 8,000 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 8,000 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1098 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम अठी सर्वे 31,79,116 रकबा 4.940 हे. क्षेत्रफल हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1098 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1098 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग 40-50 मानव आवास स्थित होना प्रदर्शित होता हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-अठी, ग्रामसभा-अठी, जिला-अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव की अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-19 के सरल क्रमांक-34 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 28.05.2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 1. नदी नाले से रेत निकालने से पानी से नीचे चला जा रहा है, इसलिए मुझे आपत्ति है।	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र सुकता नदी पर स्थित है । गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 580 मी. की दूरी पर रोड ब्रिज है। आसपास में अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 2.0 हे. एवं माईनिंग प्लान अनुसार गहराई 1.0 मी. तथा डीएसआर में दी गई उत्पादन क्षमता, माईनिंग प्लान में दी गई उत्पादन क्षमता तथा गूगल ईमेज को देखते हुये 8000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवंसंलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -8000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
4. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
5. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 1.71 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.07 लाख प्रति वर्ष ।

EMPBudget

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	91800
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	15000	1500
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Toilets for Male and Female	10000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	5000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	5000
9	VT Training for Labours	Nil	2000
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	-
Total		171000	207300

8. C E R मदमें निम्नानुसार राशि रु. 0.76 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी. ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
ग्राम आरती के तालाबों से गाद निकालने एवं गहरा करने में सहयोग हेतु 76,000.00 रुपये की राशि बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	76,000.00

- नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

1	नदी के किनारे, पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	250
2	ग्रामछपरट के आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	550
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाडा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No. P2/416/2024 Shri Satendra Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Bharkacchkalan Sand Quarry in an area of 12.00 ha (1,44,000 cum per year) (Khasra No. 614) Village – Bharkacchkalan, Tehsil – Badi, District – Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 614 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 12.00 हे.
स्थल	ग्राम – भारकच्छकलां, तहसील –बाडी, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम भारकच्छकलां रेत खदान, दिनांक- 19/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा भारकच्छकलां रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,44,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,44,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1228 दिनांक	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1228 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1228 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भारकच्छकलां जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 15/08/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	30/01/2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-97 के सरल क्रमांक-37 एवं पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-37 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 21/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है । डी.एस.आर. के सरल क्रमांक 37 पर खसरा नम्बर-614 का क्षेत्र गलत लिखा हुआ है जैसा कि LOI से पलिक्षित होता है अतः खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।

ADS- परियोजना प्रस्तावक लीज एरिया क्षेत्र के संबंध में संबंधित क्षेत्र के खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।

12.

Case No. P2/111/24 Subhash Chandra Karnavat,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 4.9 Hectare, Khasra No.- 31, 79, 116 in Village - ARTHI, Tehsil - Katthiwada, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 8300 cum per annum [477203]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो सुक्ता नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, **मेसर्स एम्प्लेन्वरॉन प्राइवेट लिमिटेड**, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	31,79,116(सरकारी-गैर वन भूमि)	4.940 हे.
स्थल	ग्राम- अर्थी, तहसील-कठठीवाड़ा, जिला-अलीराजपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 8,300 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 8,300 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1097 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम अर्ठी-2 सर्वे 11/510 रकबा 2.00 हे. क्षेत्रफल हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1097 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1097 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग 40-50 मानव आवास स्थित होना प्रदर्शित होता हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-अर्ठी, ग्रामसभा-अर्ठी, जिला-अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-19 के सरल क्रमांक-33 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 28.05.2024को जन सुनवाई संपन्न की गई

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 4.9 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.4 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 8300 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत –8300 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो, खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तो का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.93 लाख प्रति वर्ष।

EMPBudget

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	71100
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	21000	2100
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Bio-Toilets for Male and Female	10000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	7500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	7500
9	VT Training for Labours	Nil	3000
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
E. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	-
Total		142000	193200

9- C E R मदमें निम्नानुसार राशि रु. 0.54 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जायें :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
ग्राम आरती के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 54000.0 रुपये की राशि ग्राम पंचायत बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	54000.00

- नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे, पहुँच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	250
2	ग्राम छपरट के आसपास के ग्राम	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता	600

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

में वृक्षारोपण	आम,नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां।	
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।</p>		

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. **Case No. P2/106/24 Subhash Chandra Karnavat, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 6.00 Hectare, Khasra No.- 1272 in Village - CHANDPUR, Tehsil - Katthiwada, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 2800 cum per annum [477371]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो नाकड़ा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री सुभाष चंद्र कर्णावत, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1272(सरकारी-गैर वन भूमि)	6.00 हे.
स्थल	ग्राम-चांदपुर, तहसील-कट्टीवाड़ा, जिला-अलीराजपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 2,800 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 2,800 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/447 दिनांक 05/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम अम्बारी सर्वे 15, 64 रकबा 3.440 एवं ग्राम आगलगोटा सर्वे 815, 833, 834 रकबा 1.990 हे. क्षेत्रफल हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/447 दिनांक 05/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/447 दिनांक 05/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-चांदपुर, ग्रामसभा-चांदपुर, जिला-अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 09/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-18 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है।	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 28.05.2024को जन सुनवाई संपन्न की गई
---------------------	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 400 मी. पर रोड ब्रिज है अतः 500 मी. तक सेटबैक छोड़ने के बाद नॉन माइनिंग एरिया 0.4 हे. का आंकलन किया गया। आसपास में अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 5.6 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.2 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 2800घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -2800घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.34

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

लाख प्रति वर्ष ।

EMPBudget

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	33480
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, etc	50000	5000
3	Monitoring (Air Quality, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation within the Buffer area & approach roads	8000	800
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	20000	2000
6	Toilets for Male and Female	8000	1500
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	2000
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	2000
9	VT Training for Labours	Nil	800
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	-
Total		107000	134580

3. C E R मदमें निम्नानुसार राशि रु. 0.54 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जायें :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम आरती के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 54000.0 रुपये की राशि ग्राम पंचायत बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	54000.00

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

1. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे, पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	100
2	ग्रामछपरट के आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	2000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाडा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No. P2/417/2024 Shri Satendra Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Gauramchuwai - 2 Sand Quarry in an area of 20.00 ha (3,00,000 cum per year) (Khasra No. 475) Village – Gauramchuwai, Tehsil – Badi, District –Raisen(M.P.) –

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

(EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेर हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 475 (11सकीय भूमी नदी) क्षेत्रफल – 20.00 हे.
स्थल	ग्राम – गौरमछुवाई, तहसील –बाडी, जिला – रायसेन (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-1 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गौरमछुवाई – 2 रेत खदान, दिनांक- 25/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गौरमछुवाई – 2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 3,00,000 घनमीटर/वर्ष

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 3,00,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1235 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (04) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 73.809 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 93.809 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1235 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1235 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत बाडी जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	30/01/2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-98 के सरल क्रमांक-42 एवं पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-42 पर दर्ज है।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 21/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 20.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 300000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -300000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्वूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. **खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्वूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।**
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

- सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई **Aquatic Fauna** तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 24.18 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 8.04 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (600m in length × 5m in width)	1,00,000	10,000
3.	PLANTATION SCHEME		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(6500X150 = ₹9,75,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500= ₹ 75,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(17350X50 = ₹ 8,67,500)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (125 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	1,25,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)			30,000
	Pollution Monitoring			30,000
	i) Air pollution			20,000
	ii) Water pollution			20,000
	iii) Soil Pollution			
	iv) Noise Pollution			
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40		40,000	5,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		-	-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)		-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)		60,000	12,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows:			
	One solar light, (@ Rs. 8000/light)			
	2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees)		15,000	5,000
	Display Board at mine entrance.			
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation plantation-1000 nos	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total			24,18,500/-	8,04,228/-

10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 5.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आग 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम गौर मछुवाई-2 में सीसी रोड का निर्माण कार्य कराया जायेगा।	5,00,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

कुल	5,00,000
-----	----------

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6650 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 17350 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	6500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	17350
कुल			24,000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15.

Case No. P2/104/24 Subhash Chandra Karnavat,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Alera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 7.23 Hectare, Khasra No.- 203, 161 in Village - AGALGOTA, Tehsil - Katthiwada, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 768 cum per annum [477315]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो नाकडानदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वराॅन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	161, 203(सरकारी-नैर वन भूमि)	7.23 हे.
स्थल	ग्राम-अगलगोटा, तहसील-कट्टीवाड़ा, जिला-अलीराजपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19- 2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 768 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 768घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/445 दिनांक05/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम बडदला सर्वे 2130 रकबा 10.00 हे. क्षेत्रफलहैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/445 दिनांक05/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/445 दिनांक05/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-अगलगोटा, ग्रामसभा-अगलगोटा, जिला-अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 15/08/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-19 के सरल क्रमांक-35 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 28.05.2024को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. यह आपत्ति है की, नदी नाले से रेत निकालने से पानी से नीचे चला जा रहा है, इसलिए मुझे आपत्ति है। 2. ग्राम पंचायत में पेसा एक्ट के तहत पानी जल स्तर से नीचे उतर जाता है इसलिए आपत्ति लेना चाहता हूं और खनन को निरस्त किया जाए। 3. ग्राम चांदपुर में पेसा एक्ट के तहत हमारे ग्राम पंचायत रेत का उत्खनन होने से पर्यावरण पर काफी नुकसान हो रहा है आज हमारे दिन प्रतिदिन रेत का खनन होने से वृक्ष कम होने से हमारे देश का तापमान 42 डिग्री टेंपरेचर बढ़ चुका है तथा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 4. ग्राम पंचायत गुडा में नदी नाले में रेत निकालने से नदी का जलस्तर नीचे

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	<p>चला जा रहा है, इसलिए मुझे आपत्ति है।</p> <p>5. रेत निकालने से नदी का जल से नीचे चला जाएगा जिससे मवेशी एवं जानवर पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा एवं पेड़ पौधों को जल स्तर नहीं मिलने से पेड़- पौधे मर सकते हैं।</p> <p>6. कोई आपत्ति नहीं है।</p>
--	---

परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । समिति द्वारा गूगल ईमेज का अवलोकन करने पर खनन क्षेत्र की सीमाएं मध्यप्रदेश एवं गुजरात दोनों में परिलक्षित हो रही है । डीएसआर के कॉर्डिनेट का मिलान सहीं नहीं पाया गया इसलिए इसकी वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये पुनः प्रस्तुत किया जावे । इस पर खनिज अधिकारी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है ।

ADS- खदान की सीमा के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये पुनः प्रस्तुत किया जावे

16. **Case No. P2/103/24 Subhash Chandra Karnavat, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of Sand Mine in area of 4.94 Hectare, Khasra No.- 650 in Village - MORIYAGAON, Tehsil - Katthiwada, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 7200 cum per annum [477252]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो ओरसांग नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लएन्वराॅन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	650, (सरकारी-गैर वन भूमि)	5.30 हे.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

स्थल	ग्राम-मोरियागाँव, तहसील-कठठीवाड़ा, जिला-अलीराजपुर, मध्य प्रदेश
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 7,200 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 7,200 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1101 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम छोटी वेगलगांव, सर्वे 326 रकबा 5.520 हे. क्षेत्र हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1101 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/1101 दिनांक 22/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव आवास नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-मोरियागाँव, ग्रामसभा-मोरियागाँव, जिला-अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 10/07/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-22 के सरल क्रमांक-18 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 28.05.2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 1. कोई आपत्ति नहीं है। 2. हम लोग गांव से रेत नहीं निकलने देंगे, हम लोग रेत कहां से लाएंगे। पूर्व ठेकेदार द्वारा रेत परिवहन से हमारे गांव की पुलिया तोड़ दी है, उसको कौन बनाएगा। 3. रेत उत्खनन से बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं हमारे गांवकी पुलिया तोड़ दी है, उसको कौन बनाएगा।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	<p>4. रेत निकालने पर हमें आपति है, की हमारे गाँव घर बनाने एवं कुँए में जल स्तर कम हो जाने के कारन हमें रेत निकालने में आपति है।</p> <p>5. रेत निकलने से हमारे नदी नाले में पानी का स्तर नीचे चला जाता है, और हमारे कुँए में भी रेत निकलाने से पानी सूख जाता है, एवं हमारे घर एवं आवास बनाने में रेत हमारे लिए उपयोगी है। जिससे हम हमारे गाँव की नदी की रेत नहीं निकालने देना चाहते है।</p> <p>6. रेत नहीं निकलने देना चाहता हूँ क्योंकि कुएँ में जल स्तर कम होने के कारण हमारे ग्राम मोरियागांव से रेत निकालने पर रोक लगाना उचित है।</p> <p>7. जल स्तर कम होने के कारण ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य में रेत की जरूरत होने के कारण रेत भर कर लोडिंग वाहन जाने से रोड एवं पुलिया निर्माण को सस्ती पहुंचती है इसलिए।</p>
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । माईनिंग प्लान को देखकर समिति को ऐसा प्रतीत होता है, कि सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स में 60 प्रतिशत के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये आर.पी.क्यू. द्वारा खनन क्षेत्र एवं गहराई में भी तदनुसार परिवर्तन किया गया है । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है । अत समिति द्वारा डीएसआर में दी गई उत्पादन क्षमता, माईनिंग प्लान में दी गई उत्पादन क्षमता तथा गुगल ईमेज को देखते हुये 7200 घनमीटर/ वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -7200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

- करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
 7. खदान संचालन उरूकरने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.63 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.40 लाख प्रति वर्ष ।

EMPBudget

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	29340
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	7500	750
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Toilets for Male and Female	10000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	3500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	3500
9	VT Training for Labours	Nil	1400
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	-
Total		163500	140490

2. C E R मद में निम्नानुसार राशि रु.0.62लाखतथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू. में)
ग्राम मोरियागांव के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 62000.0 रुपये की राशि ग्राम पंचायतबैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	62000.00

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे, पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	250
2	ग्रामछपरट के आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	500
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

17. Case No. P2/434/2024 Shri Satendra Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Kotparamahant -1 Sand Quarry in an area of 06.00 ha (72,000 cum per year) (Khasra No. 51) Village – Kotparamahant, Tehsil – Bareli, District –Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिर्सच इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 51 (ग्रासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 06.00 हे.
स्थल	ग्राम – कोटपारमहंत, तहसील –बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम कोटपारमहंत-1 रेत खदान, दिनांक-05/11/2023	

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा कोटपारमहंत-1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत – 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 72,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1206 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 17.300 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 23.30 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1206 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1206 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम पान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत बाडी जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-94 के सरल क्रमांक-11 एवं पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तावित खदान नर्मदा नदी क्षेत्र में स्थित है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 270 मी. पर मेजर रोड ब्रिज है। रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा भी अधिक है, जो 72000 घनमीटर/वर्ष है। अतः समिति का मत है कि प्रस्तावित खदान में रेत उत्खनन के संबंध में ब्रिज कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत ही खदान के उत्खनन के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा ।

ADS - परियोजना प्रस्तावक खदान के पास स्थित मेजर रोड ब्रिज के संबंध में ब्रिज कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

18. **Case No. P2/382/2024 Shri Ramesh Bhumarkar , Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Bhadpura Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (4,000 cum per year) (Khasra No. 483) Village – Bhadpura, Tehsil – Shahpura, District – Jabalpur(M.P.) – (EIA)**

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री रामे । भूमरकर (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रामे । भूमरकर कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 483 (तासकीय भूमी नदी) क्षेत्रफल – 4.50 हे.
स्थल	ग्राम – भदपुरा, तहसील – ाहपुरा जिला – जबलपुर (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम भदपुरा रेत खदान, दिनांक- 26/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा भदपुरा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 4,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 4,000 घनमीटर/वर्ष है।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 413 दिनांक 15/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 2.00 है। इस प्रकार कुल रकबा 6.50 हे. है। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 413 दिनांक 15/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 413 दिनांक 15/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/पैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/मामान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्र जैसे-रेडियो स्टेेशन/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/जलीय निकाय/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मिहगवां भदपुरा जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 08/05/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	15/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

रिपोर्ट में स्थिति	सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-13 व 14 के सरल क्रमांक-20 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-20 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के अप स्ट्रीम में 630 मी. पर रोड ब्रिज है। आसपास में कोई अन्य संरचना नहीं है। प्रस्तावित खनन की मात्रा मात्र 4000 घनमीटर/वर्ष हैं । अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 4.5 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 4000घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -4000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्वूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारीयों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्वूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू 7.21 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.45 लाख प्रति वर्ष ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	36,000
1(b)	Water requirement- 1.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (200m in length × 5m in width)	60,000	12,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1400X150= ₹2,10,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(70X500= ₹	1,14,012

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

		35,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(3930X50 = ₹ 1,96,500)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (2 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--		2,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 26	20,000		2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000		3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	-		-
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 26 Labors - 26× 500 × 2)	-		26,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000		2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 26 workers - 26 × 1500)	39,000		6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000		5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000		2,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
17	Budget for reducing Carbon footprint through tree plantation and other methods.	30,000	30,000
Total		7,21,500/-	3,45,012/-

12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी व आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम भादपुरा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 30,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति भादपुरा के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	30,000
कुल	30,000

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1470 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3930 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति – कटंग बांस	1400

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

		6 पंक्ति – करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	70
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3930
कुल			5400
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. **Case No. P2/425/2024 Shri Satendra Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Kotparmahant-A Sand Quarry in an area of 10.00 ha (1,20,000 cum per year) (Khasra No. 51) Village – Kotparmahant, Tehsil – Bareli, District –Raisen(M.P.) – (EIA)**

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे 1 राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 51 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 10.00 हे.
स्थल	ग्राम – कोटपारमहंत, तहसील – बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम कोटपारमहंत-अ रेत खदान, दिनांक-12/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा कोटपारमहंत-अ रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और	

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,20,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1244 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 06.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1244 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1244 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरदर्शन/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	जनपद पंचायत बाडी जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 14/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-94 के सरल

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	क्रमांक-12 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तावित खदान नर्मदा नदी क्षेत्र में स्थित है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 400 मी. पर मेजर रोड ब्रिज है। रेत की प्रस्तावित उत्खनन मात्रा भी अधिक है, जो 120000 घनमीटर/वर्ष है। अतः समिति का मत है कि प्रस्तावित खदान में रेत उत्खनन के संबंध में ब्रिज कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये जाने के उपरांत ही खदान के उत्खनन के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

ADS - परियोजना प्रस्तावक खदान के पास स्थित मेजर रोड ब्रिज के संबंध में ब्रिज कार्पोरेशन के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

20.

Case No. P2/435/2024 Shri Satendra Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Kotparamahant -B Sand Quarry in an area of 04.00 ha (48,000 cum per year) (Khasra No. 187) Village – Kotparamahant, Tehsil – Bareli, District –Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 187 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 04.00 हे.
स्थल	ग्राम – कोटपारमहंत, तहसील – बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम कोटपारमहंत-ब रेत खदान, दिनांक-25/12/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा कोटपारमहंत-ब रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 48,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 48,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1208 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (04) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 20.510 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 24.510 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1208 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1208 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/ रेलवे लाइन/ सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/ दूरदर्शन/ हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मांगरोल(कोटपारमहंत) जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 16/05/2015 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-94 के सरल क्रमांक-13 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, जो लगभग 2.0 हे. है। आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 2.0 हे. एवं माईन प्लान अनुसार रेत की

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

उत्पादन क्षमता 22000घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत –22000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा स्ख में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये । खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारीयों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.18 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.97लाख प्रति वर्ष ।

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (700m in length × 5m in width)	2,10,000	42,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1000X 150= ₹1,50,0 00)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(250X5 00= ₹ 1,25,00 0)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(3550X 50 = ₹ 1,77,50 0)	
		4,52,500	56,988
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (20 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	20,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total	40,000	5,000

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	Workers deployed are 40			
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)		-	40,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)		60,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	2,00,000	1,20,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
Total			12,18,500/-	4,97,988/-

14. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशिरू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रु.में)
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटपारमहंत-ब में स्वास्थ्य संबंधी उपकरण हेतु 1,20,000 रुपये की राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटपारमहंत के बैंक खाते में भू-प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा किये जाएंगे	1,20,000
कुल	1,20,000

15. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1250 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 3550 वृक्षों का वितरण :-

16.

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	250
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3550
कुल			4800
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप			

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

(SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख –रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No. P2/424/2024 Shri Satendra Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Sankheda Sand Quarry in an area of 15.00 ha (1,80,000 cum per year) (Khasra No. 405) Village – Sankheda, Tehsil – Badi, District –Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 405 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 15.00 हे.
स्थल	ग्राम – सनखेड़ा, तहसील –बाडी, जिला – रायसेन	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	(म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सनखेड़ा रेत खदान, दिनांक- 25/11/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सनखेड़ा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,80,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1239 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (03) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 9.60 हे. है। इस प्रकार कुल रकबा 24.60 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1239 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1239 दिनांक

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सनखेड़ा जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 11/09/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-99 के सरल क्रमांक-48 एवं पेज नं.-68 के सरल क्रमांक-48 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 21/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र में रेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 15 हे. एवं आवेदन अनुसार रेत की उत्पादन क्षमता 1,80,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -1,80000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्यूअल माइनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा स्ख में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये । खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशिरू. 30.33 लाख एवं रिकरिंग राशिरू. 12.24 लाख प्रति वर्ष ।

S.No	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(600 0X15 0= ₹9,0 0,00 0)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(350 X500 = ₹ 1,75, 000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(116 50X5 0 = ₹ 5,82, 500)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (84 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	84,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
		16,57,500	2,90,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	80,000	16,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000×2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 90 Labors - 90× 500 × 2)	-	90,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 90workers - 90 × 1500)	1,35,000	27,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	4,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration		
	16(A) Village Farmers For Trees Adaptation	6,00,000	3,60,000
	16(B) Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total	30,33,500/-	12,24,000/-

17. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशिरू. 3.20लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आग 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रु.में)
ग्राम सनखेड़ा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 3,20,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति ग्राम सनखेड़ा के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	3,20,000
कुल	3,20,000

18. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6350 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 11650 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन घास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	6000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	350
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	11650
कुल			18000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p>			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख –रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No. P2/384/2024 Shri Ramesh Bhumarkar , Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Jugpura Sand Quarry in an area of 12.785 ha. (80,000 cum per year) (Khasra No. 124) Village – Bhadpura, Tehsil – Shahpura, District – Jabalpur(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री रामे । भूमरकर (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रामे । भूमरकर कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 124 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 12.785 हे.
स्थल	ग्राम – जुगपुरा, तहसील – ाहपुरा जिला – जबलपुर (म.प्र.)	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम जुगपुरा रेत खदान, दिनांक- 29/10/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा जुगपुरा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 80,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2484 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं। इस प्रकार कुल रकबा 12.785 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2484 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2484 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट(आंगनबाड़ी भवन व स्कूल भवन) स्थित

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	हैं/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/ रेलवे लाइन/ सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/ दूरदर्शन/ हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोई नदी/ तालाब/ नहर/ बांध/ स्टॉपडैम/ ग्रामीण कच्चा रास्ता / जलीय निकाय/ नाला नहीं हैं। पक्का रास्ता(पावला से जुगपुरा) स्थित हैं
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पावला के अंतर्गत ग्राम जुगपुरा जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 08/05/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	15/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 13 के सरल क्रमांक-20 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। **खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है।** गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अवोदन अनुसार खनन क्षेत्र 12.785 हे. एवं उत्खनन क्षमता 80000 घनमीटर/वर्ष है। परन्तु **डी. एस.आर. के सरल क्रमांक-17 पर अवलोकन किया गया जिसमें रेत की उपलब्धता मात्रा 71500 घनमीटर/वर्ष अंतिम कॉलम में दर्शाई गई है अतःइसे मान्य करते हुये अनुशंसित।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -71500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैन्व्यूअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. **खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्व्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।**
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू .16.8 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 6.0 लाख प्रति वर्ष ।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,00,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(4700X 150= ₹7,05,0 00)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(250X5 00= ₹ 1,25,00 0)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(10400 X50 = ₹ 5,20,00 0)	
		13,50,000	2,25,720
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (37 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	37,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 16	20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass	-	-

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 16 Labors -16× 500 × 2)	-	16,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 16 workers - 16 × 1500)	24,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
		-	
	Total	16,80,000/-	6,00,920/-

19. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 11.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी व आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम जुगपुरा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 160,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,60,000
कुल	1160,000

20. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4950 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10400 वृक्षों का वितरण :-

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	4700
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	250
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	10400
कुल			15350
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख -रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23.

Case No. P2/429/2024 Shri Satendra Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Sevni Sand Quarry in an area of 0.405 ha (4,860 cum per year) (Khasra No. 317) Village – Sevni, Tehsil – Bareli, District –Raisen(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेडउपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 317 (ासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 0.405 हे.
स्थल	ग्राम – सिवनी, तहसील –बरेली, जिला – रायसेन (म. प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम सिवनी रेत खदान, दिनांक-08/11/2023	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा सिवनी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 4,860 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 4,860 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1213 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 22.50 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 22.905 हे. हैं । अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1213 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1213 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ वैश्विक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरहाकलां जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 02/10/2019 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	नर्मदा नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	26 / 09 / 2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-94 के सरल क्रमांक-18 एवं पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-18 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24 / 05 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 0.405 है. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.5 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 4860 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -4860 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण खनिज अधिकारी यह सतत सुनिश्चित करें कि मैनुअल माईनिंग की जावे साथ ही अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये। खनन क्षेत्र के किनारे पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें अन्य जानकारियों के साथ-2 खनन क्षेत्र की

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का उल्लेख किया जावे तथा मैन्यूअल खनन किया जावेगा इसका स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

4. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
6. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
7. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
8. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.43, लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	18,000
1(b)	Water requirement- 0.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (100m in length x 5m in width)	30,000	6,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(200X 150= ₹30,00 0)	10,800
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(30X5	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

		00= ₹ 15,000)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(270X 50 = ₹ 13,500)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (3 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	3,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 20		20,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 20 Labors -20× 500 × 2)		-	20,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 20workers -20 × 1500)		30,000	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	60,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total		4,94,500/-	2,43,800/-

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

21. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम सिवनी के आंगनबाड़ी में खिलौने वितरण हेतु	20,000
कुल	20,000

22. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 230 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 270 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	30
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	270
कुल			500
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

(सरकारी / निजी)	(ग्रासकीय भूमी नदी)	2.00हे.
स्थल	ग्राम – मालकछार, तहसील –शाहपुरा, जिला –जबलपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे 1 शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मालकछार रेत खदान, दिनांक- 21/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा मालकछार रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 10,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2981 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	मानवबसाहट / वैश्विकसंस्था / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के स्मारक / रेलवे लाइन / सार्वजनिक भवन / आम गान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टेशन / दूरदर्शन / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मालकछार जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 08/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 13 के सरल क्रमांक- 19 एवं पेज नं.- 61 के सरल क्रमांक- 19 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है। गूगल ईमेज दिनांक 26/03/2024 का अवलोकन करने पर पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है, खनन क्षेत्र के अपस्ट्रीम में 540 मीटर दूरी पर ब्रिज है। अतः समिति का मत है कि उक्त रेत खदान में उत्खनन की अनुशंसा नहीं की जा सकती।

अभिमत- समिति का मत है कि उक्त रेत खदान में उत्खनन की अनुशंसा नहीं की जा सकती।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

25. **Case No. P2/102/24 Subhash Chandra Karnavat,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 2130 in Village - BADDALA, Tehsil - Alirajpur, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 7650 cum per annum [477942]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो अंखर नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्री सुभाष चंद्र कर्णावत, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2130(सरकारी-गैर वन भूमि)	10.0 हे.
स्थल	ग्राम-बडदला, तहसील-अलीराजपुर, जिला-अलीराजपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 7,650 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 7,650 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/908 दिनांक 10/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम बडदला सर्वे 2130 रकबा 10.00 हे. क्षेत्रफल हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/908 दिनांक 10/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/908 दिनांक 10/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-बडदला, ग्रामसभा-बडदला, जिला-अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-18 के सरल क्रमांक-3 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 30/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. रेत नदी में नहीं है ग्रामवासियों को रेत का उपयोग करने की व्यवस्था की जाए। 2. अनखाड नदी में चार एवं पांच साल से खदान में रेत नहीं आती है। हमें रेत खदान पर रेत नहीं होने के कारण खदान की आपत्ति है। 3. यहां पर रेत नदी में ग्रामीण को जरूरत होने पर नहीं मिलती है और बाहर ले जाते हैं। 4. छोटी वेगलगांव खदान में रेत नहीं है, हमें खदान की आपत्ति है। 5. पिछले सात-आठ वर्षों से नदी में रेत नहीं है और बारिश आने के बाद भी यहां पर रेत नहीं आती।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास में कोई संरचना नहीं है। माईनिंग प्लान को देखकर समिति को ऐसा प्रतीत होता है, कि सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स में 60 प्रतिशत के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये आर.पी.क्यू. द्वारा खनन क्षेत्र एवं गहराई में भी तदनुसार परिवर्तन किया गया है । समिति द्वारा डीएसआर में दी गई उत्पादन क्षमता, माईनिंग प्लान में दी गई उत्पादन क्षमता तथा गूगल ईमेज को देखते हुये 7650 घनमीटर/वर्ष निर्धारित की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत –7650 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तो का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.75 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.71 लाख प्रति वर्ष।

EMPBudget

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	56700
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	100000	10000
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	84000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	19125	1910

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	25000	2000
6	Toilets for Male and Female	10000	3000
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	4500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	4500
9	VT Training for Labours	Nil	1800
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 nos	1000	-
Total		175125	171410

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार शि.रु.0.51 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जायेंगे :- भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम बडुला के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 51000.0 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति महेश्वर के बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	51000.00

1. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे, पहुँच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	250
2	ग्रामछपरट के आसपास के ग्राम में वृक्षारोपण	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	550

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

(सरकारी / निजी)	(ग्रासकीय भूमी नदी)	14.920हे.
स्थल	ग्राम – पावला, तहसील –शाहपुरा, जिला –जबलपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पावला रेत खदान, दिनांक- 18/10/2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पावला रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत – 20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 20,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2998दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृतनहीं हैं ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2998 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2998 दिनांक 27/03/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	मानवबसाहट / वैश्विकसंस्था / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के स्मारक / रेलवे लाइन / सार्वजनिक भवन / आम गान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न / दूरद न / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पावला जिला जबलपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 08/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 21,22 के सरल क्रमांक- 42 एवं पेज नं.- 63 के सरल क्रमांक- 42 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 20/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है। गूगल ईमेज दिनांक जनवरी 2023 तथा विगत वर्षों के गुगल ईमेज के अनुसार अवलोकन करने पर पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ परिलक्षित हुआ है। अतः समिति का मत है कि उक्त रेत खदान में उत्खनन की अनुशंसा नहीं की जा सकती।

अभिमत- समिति का मत है कि उक्त रेत खदान में उत्खनन की अनुशंसा नहीं की जा सकती।

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

27. **Case No. P2/110/24 Subhash Chandra Karnavat,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.00 Hectare, Khasra No.- 1399 in Village - KHARKUWA, Tehsil - Alirajpur, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 2800 cum per annum 477715]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो नाकडानदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्पल एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1399(सरकारी-गैर वन भूमि)	5.00हे.
स्थल	ग्राम-खरकुवा, तहसील-अलीराजपुर, जिला-अलीराजपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 2,800 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 2,800 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/499 दिनांक 05/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम राजावाट सर्वे 2 रकबा 10.000 हे. क्षेत्रफल हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/499 दिनांक 05/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/499 दिनांक05/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-खरकुवा, ग्रामसभा-खरकुवा,जिला-अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 14/04//2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-18 के सरल क्रमांक-7 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक29/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. रेत बनाने रेत का उपयोग हम ग्राम वासी करेंगे। रोजगार के संबंध में जानकारी चाहिए। 2. पूर्व ठेकेदार द्वारा 5000 पेड़ लगाने का आश्वासन दिया गया था वर्तमान में क्या प्रावधान है।पेड़ पौधे लगाना चाहिए पूर्व में खदान लेने के बाद पालन नहीं किया। 3. निवेदन है पंचायत में रेत खदान होने से ग्राम पंचायत में रोजगार होना चाहिए ग्रामीण एवं जमीन का आवागमन में किसी भी तरह की समस्या नहीं चाहिए। 4. ग्राम पंचायत में रेत खदान की नीलामी हो रही है उसके संबंध में ग्रामीण लोगों कृषक अधिकतर कर्जा लेकर अन्य वाहन खरीदे हैं। ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। इन वाहनों का उपयोग का रुकावट नहीं होना चाहिए इस पर ग्रामीणों को आपत्ति है। 5. इस रेत खनन से मुझे आपत्ति है कि ग्राम वासियों ने कर्ज उठकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों को घर बनाने के लिए रेत की आवश्यकता पड़ती है उसे पर रुकावट नहीं आना चाहिए। 6. बड़ा वाहन नहीं चलाया जाए छोटे वहां से ही परिवहन करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का के.एम.एल एवं डीएसआर के कॉर्डिनेट का मिलान सही नहीं पाया गया । अतः सही कॉर्डिनेट के साथ के.एम.एल अपलोड कर पुनः प्रस्तुत किया जायें।

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

ADS- सही कॉर्डिनेट के साथ के.एम.एल अपलोड कर पुनः प्रस्तुत किया जायें।

28. Case No. P2/112/24 Subhash Chandra Karnavat,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Alera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 2 in Village - RAJAWAT, Tehsil - Alirajpur, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 9600 cum per annum 477548]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो सुकड़ नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, **मेसर्स एम्प्लेन्वराॅन प्राइवेट लिमिटेड**, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2(सरकारी-गैर वन भूमि)	10.00 हे.
स्थल	ग्राम-राजावत, तहसील-अलीराजपुर, जिला-अलीराजपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 9,600 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 9,600 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/450 दिनांक 05/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान ग्राम बडदला सर्वे 2130 रकबा 10.00 हे. क्षेत्रफल हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/450 दिनांक05/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/450 दिनांक05/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट नहीं हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-राजावत, ग्रामसभा-राजावत, जिला-अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 10/07/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-18 के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक29/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई <ol style="list-style-type: none"> 1. रेत की उपलब्धता कम है, और पनाल डैम बनने के वजह से अब नहीं आती और रेत की नीलामी की जाएगी तो भविष्य में गांव के लिए रेत नहीं बेचेगी। 2. रेत बाहर नहीं जाना चाहिए यह हमारी समस्या है। 3. गांव की रेती गांव में ही रहना चाहिए। पेड़ लगाना, मजदूरी करते हैं साल भर जमीन बहुत कम है। हमको रोजगार दिया जाए। रेत नियम अनुसार ही रेत को बेचा जाए, दुकान डाली जाए, विकास किया जाए। 4. खदान से हमें क्या फायदा होगा? खदान के संपन्न में गांव की रेत गांव में ही रहने की कृपा करें। आस-पास पेड़ पौधे लगाने की कृपा करें। पानी का छिड़काव किया जाए। 5. ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान किया जावे। 6. खदान ठेकेदार द्वारा सारी रेत निकाल ली है, थोड़ी बहुत रेत हम ग्रामवासियों द्वारा उपयोग करेंगे। 7. रेत बाहर नहीं जाना चाहिए। रेत का उपयोग हम ग्रामवासी करेंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का के.एम.एल एवं डीएसआर के कॉर्डिनेट का मिलान सही नहीं पाया गया । अतः सही कॉर्डिनेट के साथ के.एम.एल अपलोड कर पुनः प्रस्तुत किया जायें।

ADS- सही कॉर्डिनेट के साथ के.एम.एल अपलोड कर पुनः प्रस्तुत किया जायें।

29. **Case No. P2/105/24 Subhash Chandra Karnavat,M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 10.00 Hectare, Khasra No.- 361 in Village - RAODI, Tehsil - Sondwa, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 600 cum per annum [477768]**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 10.0 हे. एवं माईन प्लान रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 600 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

- कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
 8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.43, लाख प्रति वर्ष।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

30. Case No. P2/108/24 Subhash Chandra Karnavat, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Alera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 1.50 Hectare, Khasra No.- 373 in Village - CHHOTA WEGALGAON, Tehsil - Sondwa, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 600 cum per annum [478079]

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो अंखर नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्लेन्वर्ऑन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑनलाइन उपस्थिति।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	373(सरकारी-गैर वन भूमि)	1.50 हे.
स्थल	ग्राम-छोटी वेगलगांव, तहसील-सोंडवा, जिला-अलीराजपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2-2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	आवंटित
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 600 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 600 घनमी./वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/911 दिनांक 10/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम छोटी वेगलगांव,सर्वे 326 रकबा 5.520 हे. क्षेत्रहैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/911 दिनांक 10/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/911 दिनांक 10/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव आवास स्थित होना प्रदर्शित होता हैं।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-छोटी वेगलगांव, ग्रामसभा-छोटी वेगलगांव, जिला-अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव की अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-18 के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है।
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक30/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई 8. रेत नदी में नहीं है ग्राम वासियों को रेत का उपयोग करने की व्यवस्था की जाए। 9. अनखाड़ नदी में चार एवं पांच साल से खदान में रेत नहीं आती है। हमें रेत खदान पर रेत नहीं होने के कारण खदान की आपत्ति है। 10. यहां पर रेत नदी में ग्रामीण को जरूरत होने पर नहीं मिलती है और बाहर ले जाते हैं। 11. छोटी वेगलगांव खदान में रेत नहीं है, हमें खदान की आपत्ति है। 12. पिछले सात -आठ वर्षों से नदी में रेत नहीं है और बारिश आने के बाद भी यहां पर रेत नहीं आती।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 587 मी. पर स्टाप डेम है,एवं 300 मी. पर ब्रिज

है, सेटबेक देने के बाद माईनेबल खनन क्षेत्र 0.67 हे. है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता मात्र 600 घनमीटर/वर्ष है। लीज एरिया के उत्खनन क्षेत्र 1.5 हे. एवं माईन प्लान अनुसार गहराई 0.5 मी. है। माईनिंग प्लान को देखकर समिति को ऐसा प्रतीत होता है, कि सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स में 60 प्रतिशत के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये आर.पी.क्यू. द्वारा खनन क्षेत्र एवं गहराई में भी तदनुसार परिवर्तन किया गया है। आवेदित लीज क्षेत्र की रेत की उत्पादन क्षमता मात्र 600 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -600 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 0.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.0. 65 लाख प्रति वर्ष।

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

EMPBudget

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	13860
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	18750	1875
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	40000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	2500	250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	10000	1000
6	Toilets	8000	1500
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	1500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	1500
9	VT Training for Labours	Nil	600
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 no's	1000	-
Total		60250	65085

8. C E R मदमें निम्नानुसार शि.रु.0.18 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जायेंगे - : भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे। (

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम छोटी वेंगलगांव के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 18000.0 रुपये की राशि ग्राम पंचायत बैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	18000.00

1. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
------	---------------------------	---------------------	--------

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

			(संख्या में)
1	नदी के किनारे, पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	100
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. **Case No. P2/109/24 Subhash Chandra Karnavat, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Mine in area of 5.52 Hectare, Khasra No.- 326 in Village - CHHOTI WEGALGAON, Tehsil - Sondwa, District - Alirajpur (MP), Maximum Production - 800 cum per annum [478080]**

प्रस्तावित रेत खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो अंखर नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 06/02/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुभाष चंद्र कर्णावत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री. मोहम्मद महमूद गौस, मेसर्स एम्प्ल एन्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना ऑफलाइन उपस्थिति।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/ कम्पनी का नाम व पता	श्रीसुभाष चंद्र कर्णावत, प्रभारी अधिकारी, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, भोपाल, पर्यावास भवन, ब्लॉक '1-ए', द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	326(सरकारी-गैर वन भूमि)	5.520हे.
स्थल	ग्राम-छोटी वेगलगांव, तहसील-सोंडवा, जिला-अलीराजपुर, मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक F-19-2- 2019-12-1 भाग-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिये आवंटित	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत- 800 घनमी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत- 800 घनमी./वर्ष हैं।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/910 दिनांक 10/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदानग्राम छोटी वेगलगांव, सर्वे 373 रकबा 1.50 हे. क्षेत्र हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/910 दिनांक 10/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-अलीराजपुर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक/खनिज/2023/910 दिनांक 10/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव आवास स्थित होना प्रदर्शित होता हैं।	
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत-छोटी वेगलगांव, ग्रामसभा-छोटी वेगलगांव, जिला-अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव की अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है, तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया की परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्र.-18 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है।	
जन सुनवाई की स्थिति	दिनांक 30/05/2024 को जन सुनवाई संपन्न की गई	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	<ol style="list-style-type: none"> 1. रेत नदी में नहीं है ग्राम वासियों को रेत का उपयोग करने की व्यवस्था की जाए। 2. अनखाड़ नदी में चार एवं पांच साल से खदान में रेत नहीं आती है। हमें रेत खदान पर रेत नहीं होने के कारण खदान की आपत्ति है। 3. यहां पर रेत नदी में ग्रामीण को जरूरत होने पर नहीं मिलती है और बाहर ले जाते हैं। 4. छोटी वेगलगांव खदान में रेत नहीं है, हमें खदान की आपत्ति है। 5. पिछले सात-आठ वर्षों से नदी में रेत नहीं है और बारिश आने के बाद भी यहां पर रेत नहीं आती।
--	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में 394 मी. पर ब्रिज है। इस हेतु 500 मी. का सेटबैक देने के बाद माईनेबल खनन क्षेत्र 4.12 हे. है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता मात्र 800 घनमीटर/वर्ष है। माईनिंग प्लान को देखकर समिति को ऐसा प्रतीत होता है, कि सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स में 60 प्रतिशत के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये आर.पी.क्यू. द्वारा खनन क्षेत्र एवं गहराई में भी तदनुसार परिवर्तन किया गया है । आवेदित लीज क्षेत्र की रेत की उत्पादन क्षमता मात्र 800 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 800 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नही दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चत करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

6. सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे । नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 0.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.0. 65 लाख प्रति वर्ष ।

EMPBudget

S. No	Particulars	Capital Cost	Recurring Cost
A. For Environmental Protection			
1	Cost for Water	-	13860
2	Pucca Approach road construction with speed breakers, signage boards, Reflectors, development of T-Point etc	18750	1875
3	Monitoring (AAQM, Noise & Water Twice in a year)	Nil	40000
4	Plantation in Buffer area, roads & nearby villages	2500	250
B. Labour Welfare			
5	Shelter for labours	10000	1000
6	Toilets	8000	1500
7	Regular Medical Check-up for Workers	Nil	1500
8	PPEs for Sand Mining operations	Nil	1500
9	VT Training for Labours	Nil	600
C. Emergency Rescue Plan			
10	First Aid Box & firefighting Equipment	10000	1000
11	Safety Signages and Warning Boards like red flags, Cones etc	10000	2000
D. Solid Waste Management			
12	Bins 2 no's	1000	-
Total		60250	65085

2. C E R मद में निम्नानुसार राशि रु.0.18 लाख तथा C E R में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किए जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

सी. ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम छोटी वेंगलगांव के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 18000.0 रुपये की राशि ग्राम पंचायतबैंक खाते में भू-प्रवेश की 03 माह के अन्दर जमा कर दी जाएगी।	18000.00

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) नदी के किनारे कम से कम 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु नियत स्थल	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे, पहुच मार्ग तक स्थल के उपलब्धता के अनुसार	खस, घास, करौंदा करंज, अर्जुन एवं जामुन बाँस, बेर, आम, शहतूत लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियाँ ।	100
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जाएगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।</p> <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

32. **Case No. P2/476/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra**

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

No.- 78, in Village - Basauda-1 , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP),
Maximum Production - 45000 cum per annum [476610]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 02.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawa Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 4.00 Ha.			
स्थल	Village – Basauda 1 & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/202 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है मयार नदी पर है			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बसौदा 1)दिनांक - 01.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 813/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 813/खनिज/रेत/एकल 2023 सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 813/खनिज/रेत/एकल 2023 सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बसौदा जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 06.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है मयार नदी पर है

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदान है • मयार नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 07के सरल क्रमांक-04 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के दक्षिण में 18 मी. पर डब्ल्यू.बी.एम रोड है, इस हेतु सेटबैक देने के बाद उपलब्ध माईनेबल एरिया 2.25 हे. उपलब्ध होती है। । अतः खनन हेतु 2.25 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है, एवं गहराई 2.00 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 22,500 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है । इस संबंध में उल्लेखित है कि लोक सुनवाई में उल्लेख किया गया है कि खदान संचालित है। अतः संबंधित क्षेत्र के माईनिंग अधिकारी संज्ञान लेकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -22,500 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. **खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।**
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

- सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 0.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.0. 65 लाख प्रति वर्ष ।
 9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.65 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 490 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	49,000	10,000
3	Plantation (1368 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,02,600	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	जल संवर्धन सरंचनाएं (स्टॉप डेम, नाला, हेंडपंप, दो रिचार्ज पिट और तालाब)	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 36 Labour @ 500 Rs. = 18,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 36	Nil	36,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 36 labor @1000 Rs.	36,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	6,02,600	3,65,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बसौडा के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
2	ग्राम बसौडा में हेंडपंप लगवाने हेतु	1,00,000

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1350 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	220
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेन्द्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	220
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई	910

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

		जाएगी	
<ul style="list-style-type: none"> • वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा। • प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा। • एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे। <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

33. Case No. P2/477/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 522, in Village - Basauda-3 , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP), Maximum Production - 45000 cum per annum [476691]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 02.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

1. परियोजना विवरण :-

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd,Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A',II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 4.00 Ha.			
स्थल	Village – Basauda 3 & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है मयार नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (बसौदा 3)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारेरेत 45,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 815/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 815/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 815/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बसौदा जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 06.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है मयार नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदानहै • मयार नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 08के सरल क्रमांक-05 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के दक्षिण में 10 मी. की दूरी पर रोड है, इस हेतु 100 मी. का सेटबैक देने के बाद उपलब्ध माईनेबल एरिया 1.87 हे. उपलब्ध होती है। अतः खनन हेतु 1.87 हेक्टेयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है, एवं गहराई 2.00 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 37400 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -37400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायेगा।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 6.40 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.65 लाख प्रति वर्ष।

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 210 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	21,000	10,000
3	Plantation (2,244 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,68,300	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	जल संवर्धन सरंचनाएं (स्टॉप डेम, नाला, हेंडपंप, दो रिचार्ज पिट और तालाब)	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 36 Labour @ 500 Rs. = 18,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 36	Nil	36,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 36 labor @1000 Rs.	36,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	6,40,300	3,65,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बसौडा के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
2	ग्राम बसौडा में हैंडपंप लगवाने हेतु	1,00,000

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2244 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमें स्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोडाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	374
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेंद्रएवंशा सकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजाति या	374
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित- (पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	1496

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

- वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।
- प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।
- एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।

टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

34.

Case No. P2/471/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 78, in Village - Naudhiya-2 , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP), Maximum Production - 42816 cum per annum [476617]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 02.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawa Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

(सरकारी / निजी)	4.00 Ha.			
स्थल	Village – Naudhiya & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है मयार नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (नौढ़िया 2)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत 42,816 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1718/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 20.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1718/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 20.05.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1718/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 20.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सितूल खुर्द जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 05.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है मयार नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदानहै • मयार नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 09के सरल क्रमांक-07 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज में **माईनिंग प्लान के कॉर्डिनेट के अनुसार खनन क्षेत्र खेतों के बीच आ रहा है, अतः रेत की उपलब्धता प्रतीत नहीं हो रही है । समीपस्थ नदी खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 1.3**

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

कि. मी. दूरी पर स्थित है अतः इस लीज क्षेत्र का पुनः परीक्षण कराकर प्रस्तुत करें ।

ADSसमिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया किअनुमोदित खनन योजना के अक्षांश व देशांश खनन क्षेत्र से बाहर हैं अतः खनन अधिकारी द्वारा अक्षांश व देशांश को सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाए।

35. Case No. P2/478/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 450, in Village - Naudhiya , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP), Maximum Production - 43637 cum per annum [476639]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 2/06/2024 को परियोजना प्रस्तावकM/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person)एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज)उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

2. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd,Address: Paryawa Bhawan, Block No. 'A',II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 4.00 Ha.
स्थल	Village – Naudhiya & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2024 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं
संशोधित माईनिंग प्लान का	नहीं

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।				
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है लौआ नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (नौढ़िया)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत 43,637 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 816/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 816/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 816/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सितूल खुर्द जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 05.06.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है लौआ नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदानहै • लौआ नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 08के सरल क्रमांक-06 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। लीज क्षेत्र के आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया 4.0 हे. में सेटबैक के बाद के उपलब्ध उत्खनन क्षेत्र 2.06 हे. एवं गहराई 2.0 मी. दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 43637 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -43637 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. **खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी**

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

- स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
 4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
 5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 7. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.43, लाख प्रति वर्ष ।
 9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.47 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.94 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 118 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	11,800	10,000
3	Plantation (2472 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,85,400	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

5	जलसंवर्धनसंरचनाएं (स्टॉपडेम,नाला,हैंडपंप,दोरिचार्जपिटऔरतालाब)	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	6,47,200	3,94,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0 लाख तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम नौदिया के प्राथमिक स्कूल में बाउन्ड्रीवाल व फर्श पक्का कराने हेतु	1,00,000
2	ग्राम नौदिया में हैंडपंप लगवाने हेतु	1,00,000

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2472 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ
-----	--------------------------	-------------------

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमें स्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोडाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	412
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेंद्रएवंशा सकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजाति या	412
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित- (पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	1648
<p>✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख- रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितकरायाजायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाडानहींजायेगा।</p> <p>✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।</p> <p>✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाडीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख-रखावकियाजावेगा।</p> <p>- परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रामीणोंकोफलदार, बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्याकीपूर्तीकीजासकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

36. **Case No. P2/472/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.200 Hectare, Khasra No.- 43, in Village - Chanchar , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP), Maximum Production - 36000 cum per annum [476798]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 02.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawa Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 3.20 Ha.			
स्थल	Village – Chanchar & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/202 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है मयार नदी पर है
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (चॉचर)दिनांक - 01.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत 36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 817/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 7.20 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 817/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 817/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चॉचर जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 26.01.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है मयार नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदान है • मयार नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 09के सरल क्रमांक-08 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया 3.2 हे. एवं गहराई 2.0 मी. दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 36000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -36000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

- करायेंगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 7. खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.43, लाख प्रति वर्ष ।
 9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.59 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 280 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	28,000	10,000
3	Plantation (2616 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,96,200	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	जलसंवर्धनसंरचनाएं (स्टॉपडेम,नाला,हैंडपंप,दोरिचार्जपिटऔरतालाब)	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 30	Nil	30,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor	30,000	5,000

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	@1000 Rs.		
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	6,69,200	3,59,000

3. CSR Table

सी.एस.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 2.0 लाख तथा सी.एस.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. लाख में)
1	ग्राम चाँचरके आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
2	ग्राम चाँचरमें हेंडपंप लगवाने हेतु	1,00,000

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2616 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमें स्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	436
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेन्द्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजाति	436

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

		या	
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित- (पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेरे, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	1744
<ul style="list-style-type: none"> • वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा। • प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा। • एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे। <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

37. **Case No. P2/475/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 1935/1, in Village - Jarha , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP), Maximum Production - 21176 cum per annum [476940]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 02.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

प्रस्तुतीकरण किया गया

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd,Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A',II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 2.00 Ha.			
स्थल	Village – Jarha & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है मयार नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (जरहाँ)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो	स्टैन्डर्ड टोर			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

विवरण दें।	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 21,176 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 818/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 7.20 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 818/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 818/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जरहा जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 28.05.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है मयार नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदानहै • मयार नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10के सरल क्रमांक-10 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । **खनन क्षेत्र मायार नदी पर स्थित है।** गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है, लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, जो लगभग 0.95 हे. है। अतः लीज एरिया 2.0 हे. में से माईनेबल लीज क्षेत्र 1.05 हे. एवं गहराई 2.0 मी. दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 21176 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -21176 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. **खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये।**
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.43, लाख प्रति वर्ष ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.52 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.40 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 210 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	21,000	10,000
3	Plantation (1270 plants will be planted & Distribution during the first year).	95,220	10,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	जल संवर्धन सरंचनाएं (स्टॉप डेम, नाला, हेंडपंप, दो रिचार्ज पिट और तालाब)	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 21 Labour @ 500 Rs. = 10,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 21	Nil	21,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 21 labor @1000 Rs.	21,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	5,52,220	3,40,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.एस.आर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम जरहा में हेंडपंप लगवाने हेतु	1,00,000

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1270 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमें स्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोडाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	212
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशा सकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजाति या	212
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित- (पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	846

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

- वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।
- प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।
- एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।

टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनबाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।

✓

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

38.

Case No. P2/470/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 2.000 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - CHANCHAR-2 , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP), Maximum Production - 18870 cum per annum [476771]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 02.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawa Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 2.00 Ha.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

स्थल	Village – Chanchar & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है मयार नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (चॉचर 2)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत 18,870 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1720/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 20.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.20 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल			

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1720/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 20.05.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1720/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 20.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चौचर जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 26.01.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है मयार नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदानहै • मयार नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10के सरल क्रमांक-09 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 28.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । **खनन क्षेत्र मयार नदी पर स्थित है।** गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है, लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, जो लगभग 1.06 हे. है। अतः लीज एरिया 2.0 हे. में से माईनेबल लीज क्षेत्र 0.94 हे. एवं गहराई 2.0 मी. दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 18870 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -18870घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी.एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी। उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए। रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.38लाख प्रति वर्ष।

1.

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and	1,00,000	15,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	transportation (Three Times in day)		
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 270 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	27,000	10,000
3	Plantation (1132 plants will be planted & Distribution during the first year).	84,915	10,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	जल संवर्धन सरंचनाएं (स्टॉप डेम, नाला, हेंडपंप, दो रिचार्ज पिट और तालाब)	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 19 Labour @ 500 Rs. = 9,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 19	Nil	19,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 19 labor @1000 Rs.	19,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	5,45,915	3,38,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम चाँचरमें हेंडपंप लगवाने हेतु	1,00,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1132 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमें स्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोडाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	189
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	189
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	754
<ul style="list-style-type: none"> वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा। एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे। <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

39. Case No. P2/469/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 412, in Village - Harrahwaha-2 , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum [476819]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 02.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

3. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 4.00 Ha.			
स्थल	Village – Harrahwa & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	हाँ	हाँ		
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है रेण नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (हरहवा)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत 72000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1747/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 23.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 6 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 29.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1747/खनिज/रेत/एकल 2023 सिंगरौली दिनांक 23.05.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1747/खनिज/रेत/एकल 2023 सिंगरौली दिनांक 23.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अपात्ति	ग्राम पंचायत हरहवा जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई अपात्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है रेण नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदानहै • रेण नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 11के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 30.05.2024 को संपन्न हुई अपात्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया 4.0 हे. एवं गहराई 3.0 मी. दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 72000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -72000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

- गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06–06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
 5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 7.06 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.81 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 230 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	23,000	10,000
3	Plantation (2880 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,16,000	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	जल संवर्धन सरंचनाएं (स्टॉप डेम, नाला, हैंडपंप, दो रिचार्ज पिट और तालाब)	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

8	Occupational health Survey 52 Labour @ 500 Rs. = 26,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 52	Nil	52,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 52 labor @1000 Rs.	52,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	7,06,000	3,81,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.05 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम हरहवा 2-के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था	1,75,000
2	ग्राम हरहवा 2-के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	1,30,000

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2880 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमें स्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोडाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	480

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाडीकेंद्रएवंशा सकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजाति या	480
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित- (पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	1920
<ul style="list-style-type: none"> • वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा। • प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा। • एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे। <p>टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

40. Case No. P2/474/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.000 Hectare, Khasra No.- 1, in Village - Kandopani , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP), Maximum Production - 72000 cum per annum 476965]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 02.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd,Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A',II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 4.00 Ha.			
स्थल	Village – Kandopani & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है रेण नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (कान्दोपानी)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1745/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 23.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 25.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1745/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 23.05.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1745/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 23.05.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिपराकुन्द जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 01.07.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है रेण नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदानहै • रेण नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 11के सरल क्रमांक-13 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 30.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

खनन क्षेत्र रेण नदी पर स्थित है, गूगल ईमेज दिनांक 25/10/2022 अनुसार चारों ओर जलभराव दिखने से डी.एस.आर. में दी गई 3 मीटर गहराई को देखते हुये प्रस्तावित खदान में उत्पादन संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । अतःरेत खनन का वास्तविक आँकलन अद्यतन मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गयागूगल ईमेज दिनांक 25/10/2022 अनुसार चारों ओर जलभराव दिखने से डी.एस.आर. में दी गई 3 मीटर गहराई को देखते हुये प्रस्तावित खदान में उत्पादन संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । अतः रेत खनन का वास्तविक आँकलन अद्यतन मूल्यांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे ।

ADS: -खनन क्षेत्र के चारों ओर पानी दिख रहा है जिस कारणवश प्रस्तावित उत्पादन क्षमता का आँकलन नहीं किया जा सकता अतः खनिज अधिकारी द्वारा खनन क्षेत्र में सर्वेक्षण कर उसकी गहराई एवं रेत खनन की क्षमता का आकलन किया जाए एवं खनन क्षेत्र के जिया टेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत किए जाएं।

41. Case No. P2/473/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 3.000 Hectare, Khasra No.- 2490, in Village - Katauli-2 , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP), Maximum Production - 34790 cum per annum 477036]

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 02.06.2024 को परियोजना प्रस्तावकM/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person)एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज)उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :-

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd,Address: Paryawa Bhawan, Block No. 'A',II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 3.0 Ha.			
स्थल	Village – Katauli 2 & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/202 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है मयार नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (कतौली 2)दिनांक - 01.01 2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 34,790 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 812/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 7.10 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 812/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 812/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कटौली जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है मयार नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदानहै • मयार नदी पर है
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 07के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है। आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया 3.0 हे. में से उपलब्ध माईनेबल एरिया 1.2 हे. एवं गहराई 2.0 मी. दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 24000घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत –24000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 6.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.48 लाख

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 570 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	57,000	10,000
3	Plantation (1440 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,08,000	10,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	जलसंवर्धनसंरचनाएं (स्टॉपडेम,नाला,हैंडपंप,दोरिचार्जपिटऔरतालाब)	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 29 Labour @ 500 Rs. = 14,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 29	Nil	29,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 29 labor @1000 Rs.	29,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	6,09,000	3,48,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.एस.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम कटौली-2के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	50,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

2	ग्राम कटौली-2के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000
---	---	--------

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1440 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमें स्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	240
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	240
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	960

- ✓ वृक्षोंकारोपणएवंवितरणप्रथमवर्षमेंपौधोंकारख-रखावस्वयं/ग्रामपंचायत/स्थानीयवनसमिति/स्थानीयपंजीकृतस्वयंसेवीसंस्था/सेल्फहेल्पग्रुप (SHG) केद्वाराखननअवधितकरायाजायेगा।
- ✓ प्रस्तावितपरियोजनामेंकिसीभीपेड़कोकाटा/उखाड़ानहींजायेगा।
- ✓ एकपंक्तिसेदूसरीपंक्तिमेंपौधेSTAGGRED (आड़े-तिरछे) लगायेजाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपणएवंरख-रखाव, मौकेपरस्थलकीउपलब्धताकेअनुसारकियाजायेगाएवंखदानक्षेत्रकेआसपासपौधरोपणहेतुजगहक्षेत्रमें/ग्रामीणस्कूल/पुलिसथाना /आंगनवाड़ीकेंद्र/तहसीलकार्यालय/अन्यशासकीयभूमि, विभागकीसहमतिपरपौधरोपणएवंरख-रखावकियाजावेगा।
- परिवहनमार्गयाअन्यस्थलोपरस्थानीयपरिस्थितियोंकेकारणपररोपणसंभवनहोनेकीस्थितिमेंनदीक्षेत्रसेलगेग्रामी

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

णोंकोफलदार,

बाँसपौधेप्रदायकियेजावेगेंतथानदीक्षेत्रसेलगेकृषकोंकोप्राथमिकतादीजावेगीतथापौधारोपणकीशर्तअनुसारसंख्या कीपूर्तीकीजासकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

42. **Case No. P2/468/24 YODHA UMARE, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.100 Hectare, Khasra No.- 2502, in Village - Katauli-1 , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP), Maximum Production - 43848 cum per annum [476992]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 02.06.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Yodha Singh Umare (Authorized Person) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Yodha Singh Umare
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 4.10 Ha.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

स्थल	Village – Katauli 1 & Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं			
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर हाँ	हाँ	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है रेण नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - प्रोजेक्ट साइट (कटौली 1)दिनांक - 01.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारे रेत 43,848 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.10 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल			

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक 811/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 811/खनिज/रेत/एकल 2023सिंगरौली दिनांक 11.03.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कटौली जिला सिंगरौलीके ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	रेत की खदान है रेण नदी पर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेतकीखदानहै • रेण नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 07के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 29.05.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है। माईनिंग प्लान को देखकर समिति को ऐसा प्रतीत होता है, कि सेन्ड गार्ड लाईन रूल्स में 60 प्रतिशत के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये आर.पी.क्यू. द्वारा खनन क्षेत्र एवं गहराई में भी तदनुसार परिवर्तन किया गया है ।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

अतः लीज एरिया 4.1 हे. एवं गहराई 2.0 मी. दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता आवेदन अनुसार 43848 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत –43848घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्प्लाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 7.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.54 लाख प्रति वर्ष ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	1,00,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 litre capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 580 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	58,000	10,000
3	Plantation (2631 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,97,316	10,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
5	जलसंवर्धनसंरचनाएं (स्टॉपडेम,नाला,हैंडपंप,दोरिचार्जपिटऔरतालाब)	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 35 Labour @ 500 Rs. = 17,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 35	Nil	35,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 35 labor @1000 Rs.	35,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
11	Accidental cause	50,000	--
Solid Waste Management			
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
13	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	7,05,316	3,54,000

3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.एस.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम कटौली 1-के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का	50,000

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

	निर्माण करवाया जाएगा	
2	ग्राम कटौली 1-के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2631 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणकेलिएनियतस्थान	पौधोंकीप्रजातियाँ	
1	नदीकेकिनारोंपरनदीतटसे1से5पंक्तियोंमें स्थलउपलब्धताअनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुनएवंजामुन, बाँस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ाएवंस्थानीयप्रजातियाँ।	439
2	गांवकेपंचायतभवनआंगनवाड़ीकेंद्रएवंशासकीयविद्यालयमेंपौधेलगाएजाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयफलदारप्रजातिया	438
3	आसपासकेगांवोंमेंवितरित-(पौधेकीऊंचाईन्यूनतम1मीटर) कियाजाना	आम, हाइब्रिडबेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेलएवंअन्यस्थानीयप्रजातियाँलगाई जाएगी	1754

- वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/ स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था (SHG) के द्वारा खनन अवधितक कराया जाएगा।
- प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जाएगा।
- एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाए जाएंगे।

टिप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र के आसपास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि विभाग के सहमति पर पौधारोपण एवं रखरखाव किया जाएगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभवना होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार बाँस पौधे प्रदाय किए जाएंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेंगे।

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

- 43.** Case No. P2/413/2024 Shri Shashi Bhusan Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Ajanda – 2 Sand Quarry in an area of 15.00 ha. (1,62,000 cum per year) (Khasra No. 263/2 & 263/1) Village – Ajanda, Tehsil – Saikheda, District – Narsinghpur(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भाणि भूशण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भाणि भूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 263/2 व 263/1 (गासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 15.00 हे.
स्थल	ग्राम – अजंदा, तहसील –साईखेड़ा, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभागा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।	

**762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024**

प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम अजंदा -2 रेत खदान, दिनांक- 12/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा अजंदा - 2 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत - 1,62,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत - 1,62,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 991 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 4.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 19.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 991 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 991 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अजंदा जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 15/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	दुधि नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	17/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-09 एवं पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 22/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया 15 हे. एवं गहराई 3.0 मी. दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 162000घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -162000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

- है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
 4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
 5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे ।
 7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
 8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 26,65 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 9.22 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,44,000
1(b)	Water requirement- 4.00 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (800m in length × 5m in width)	2,40,000	48,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(5000 X150 = ₹7,50,000)	1,50,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(250X 500= ₹ 1,25,0 00)		
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(1275 0X50 = ₹ 6,37,5 00)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (75 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	75,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 21		20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 21 Labors -21× 500 × 2)		-	21,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 21 workers - 21 × 1500)		31,500	4,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @3500 rupees) Display Board at mine entrance.		20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a		6,000	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.			
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	6,00,000	3,60,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total		26,65,000/-	9,22,000/-

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी व आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम अजंदा-2 के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,60,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति ग्राम अजंदा-2 के बैंक खाते में भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,60,000
कुल	1,60,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5250 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 12750 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	5000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा,	250

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

		कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	12750
कुल			18000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख –रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

44. **Case No. P2/442/24 SATENDRA SINGH, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 4.950 Hectare, Khasra No.- 306, in Village - GHATPIPRIYA -1, Tehsil - Bareli, District - Raisen (MP), Maximum Production - 59400 cum per annum [478161]**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सतेन्द्र सिंह (अधिकत व्यक्ति)

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सतेन्द्र सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 306 (ासकीय भूमी नदी) क्षेत्रफल – 4.950 हे.
स्थल	ग्राम – घाटपिपरिया-1, तहसील – बरेली, जिला – रायसेन (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम घाटपिपरिया-1रेत खदान, दिनांक-25/12/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा घाटपिपरिया-1रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारारेत – 59,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 59,400 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1203 दिनांक

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (02) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिनका रकबा 12.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 16.950 हे. हैं। अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1203 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1203 दिनांक 21/07/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे न/दूरद न/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घाटपिपरिया जिला रायसेन के अनापत्ती पत्र दिनांक 28/01/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	नर्मदा नदी। खदान क्षेत्र का अधिकां भाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	22/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-93 के सरल क्रमांक-06 एवं पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-06 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 27/05/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के आसपास 1 कि.मी. तक कोई संरचना नहीं है। अतः लीज एरिया 4.95 हे. एवं गहराई 3.0 मी. दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 59400घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -59400घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।
5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.65 लाख प्रति वर्ष ।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	R C
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,00,000	
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1500X150= ₹2,25,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500= ₹ 75,000)	72,2
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(4290X50 = ₹ 2,14,500)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (25 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 40	40,000	
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 40 Labors -40× 500 × 2)	-	40,
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 40workers -40 × 1500)	60,000	

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	1,00,000	1,00,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	50,000	-
Total			9,95,500/-	4,65,000/-

23. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 1,20,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी व आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि ₹ (रु.में)
ग्राम घाटपिपरिया-1 के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 120,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति घाटपिपरिया-1 के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,20,000
कुल	1,20,000

24. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1650 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 4290 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर,	1500

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

		कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	4290
कुल			5940
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

45. Case No. P2/408/2024 Shri Shashi Bhusan Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011, Prior Environment Clearance for Panagar-1 Sand Quarry in an area of 05.00 ha. (81,000 cum per year) (Khasra No.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

305) Village – Panagar, Tehsil – Gadarwara, District –Narsinghpur(M.P.) – (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री भागि भूशण सिंह (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भागि भूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. –305 (गासकीय भूमी नदी) क्षेत्रफल – 05.00 हे.
स्थल	ग्राम – पनागर, तहसील –गाडरवारा, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम पनागर-1 रेत खदान, दिनांक- 08/11/2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा पनागर-1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 81,000 घनमीटर/वर्ष

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

	हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 81,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 989 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में (01) अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं। जिसका रकबा 06.00 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 11.00 हे. हैं, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 989 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 989 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/ तम तान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य मार्ग/ संवेदन गील क्षेत्र जैसे- रेडियो स्टे तान/दूरद न्नि/हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि स्थित नहीं हैं। 350 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पनागर जिला नरसिंहपुर के अनापत्ती पत्र दिनांक 15/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	दुधि नदी।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/09/2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

रिपोर्ट में स्थिति	सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-11 एवं पेज नं.-78 के सरल क्रमांक-02 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 23/05/2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । गुगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के के दक्षिण दिशा में 730 मीटर की दूरी पर ब्रिज है अतः 270 मीटर सेटबैक छोड़ गए । खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 1794 दिनांक 06/12/23 के माध्यम से अतिरिक्त संशोधित कॉर्डिनेट डाले गये । खनन क्षेत्र में रेत की उपलब्धता देखते हुये लीज क्षेत्र 5.0 हे. एवं गहराई 3.0 मी. दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 81000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत -81000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जाये ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, अतः यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06-06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगे एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चित करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगे ।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
7. खदान संचालन गुरुकरने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 12.82लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.61 लाख प्रति वर्ष ।

S.No.	Particulars	Capital Cost(Rs)	Recurring Cost (Rs)
<u>FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</u>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.50 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		
	Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant.	(1600X150= ₹2,40,000)	
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant.	(150X500= ₹75,000)	
	c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	(4250X50 = ₹2,12,500)	
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (38 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	38,000

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year)			
	Pollution Monitoring			30,000
	i) Air pollution			30,000
	ii) Water pollution			20,000
	iii) Soil Pollution			20,000
	iv) Noise Pollution			
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 19		20,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @ 15000×2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @ 500/worker (twice in a year) (For 19 Labors -19× 500 × 2)		-	19,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @ 20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 19 workers - 19× 1500)		28,500	6,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera. @ 3500 rupees) Display Board at mine entrance.		15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		6,000	
16	To reduce carbon footprint sequestration			
	16(A)	Village Farmers For Trees Adaptation	3,00,000	1,80,000
	16(B)	Distribution of LED Bulb	20,000	-
	Total		12,82,000/-	5,61,000/-

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशि रोगी कल्याण समिति ग्राम पनागर के खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी	1,00,000
कुल	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1750 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 4250 वृक्षों का वितरण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति - कटंग बांस 6 पंक्ति - करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	1600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	4250
कुल			6000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p>			

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख –रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जारी शुद्धि पत्र:—

1. **Case No. 6727/20 M/s Mahakaushal Sugar & Power Ind. Ltd, 149, 151, 165, 168, Village - Bahai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur, MP Prior Environment Clearance for Expansion of Sugar Industry at Village - Bachai, Tehsil - Narsinghpur, Dist. Narsinghpur (MP) [40660] [78697].**

Earlier Case was discussed in 753rd SEAC Meeting dated 18 May 2024.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 18/05/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री मोहम्मद रजा एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री मुज्मबील खान their consultant M/s Team Labs & Consultant, Hyderabad उपस्थित हुए। PP submitted following details:

उक्त प्रकरण मे पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ajay Mohan M/s Insitu Enviro Care, Bhopal से दिनांक 21/05/2024 से प्राप्त आवेदन के आधार पर 753-बी. Minutes दिनांक 18/05/2024 मे शुद्धि-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

पर्यावरण सलाहकार श्री मुज्मबील खान their consultant के साथ M/s Insitu Enviro Care (Shri Ajay Mohan), उपस्थित हुए पढ़ा जाये व शेष शर्त पूर्ववत् रहेगी।

- 2 **Case No. - 5759/2018 M/s. Fortune Soumya Housing Bhopal, Fortune Soumya Santoza C/o Fortune Soumya Housing Bagli, Behind C-21 Mall Bhopal (M.P.)-462016. Prior E C for Construction of Group Housing Project "Fortune Soumya Atlantis" at Khasra No. 160/2, 161, 162, 163/2, 163/3, 163/4, 164/1, 164/2, 171/1, 171/2, 326, at Village - Bagli, Barrai, District - Bhopal (M.P.). Total Plot Area – 75,743.94 m2), Total Built up Area – 62,525.99 m2., Category: 8(a)**

प्रकरण पर्यावर्णीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क्रमांक 5759/2018 मे प्राप्त बैंक गारंटी विमुक्त करने हेतु समिति के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित करने का है

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण की साईट विजिट संबंधी समिति द्वारा दिनांक 20/01/2024 को किये गये निरीक्षण-प्रतिवेदन की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही संलग्न कर प्रेषित है।

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

Report of Site Visit of SEAC Committee on 20/01/2024.

The following 4 members of SEAC Committee visited the site as follows,


1. Dr. J. P. Shukla, SEAC Member.
2. Shri Raghvendra Shrivastava, SEAC Member.
3. Dr. Anil Prakash, SEAC Member.
4. Prof. A. K. Sharma, SEAC Member.


Case No.5759/2018 M/s Fortune Soumya Housing Bhopal, Fortune Soumya Santoza C/o Fortune Soumya Housing Bagli, Behind C-21 Mall Bhopal (MP)-462016. Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Fortune Soumya Atlantis" at Khasra No. 160/2, 161, 162, 163/2, 163/3, 163/4, 164/1, 164/2, 171/1, 171/2, 326 at Bagli, Barrai, District Bhopal (MP). [22854].


Prescribed remedial measures which were not complied have been reported below;


1. Vermicomposting unit is not functional

Thus, release of BG is not recommended.


Dr. J. P. Shukla


Raghvendra Shrivastava


Prof. Anil Prakash


Prof. A. K. Sharma

सदस्य सचिव

(ए.ए.मिश्रा)

अध्यक्ष

(डॉ. पी.सी. दुबे)

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2024

exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2024

- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2024

41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 जून 2024

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2024

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		

762 – ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 जून 2024

	तीन वर्षों तक ।	
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट- 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम टतममकपदह ब्दजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे